संख्या: 07/2016/586/17-म-2016-6-9(139)/2012

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2016

विषय: प्रतिस्थापन के आधार पर विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 284/सा0शा0/छ-33/2015-16 दिनांक 22 सितम्बर, 2015 एवं पत्र 340/सा0शा0/ छ-33/2015-16 दिनांक 11 मार्च, 2016 एवं पत्र संख्या: 2340/सा0शा0 दिनांक 19 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मोटर गाडी के क्रय हेतु आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि का बजट में प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष मा0 सलाहकार के उपयोगार्थ 01 मारूति सियाज कार जिसकी कीमत रूपये 772887.90 तथा 05 महिन्द्रा बुलेरो जीप, जिसकी प्रति जीप कीमत रूपये 664102.00 है। 05 महिन्द्रा बुलेरो जिनकी कुल कीमत रूपये 3320510/- तथा 01 मारूति सियाज, जिसकी कीमत 772887.90 कुल धनराशि रूपये 4093397.90 (रूपये चालिस लाख तिरानबे हजार तीन सौ सत्तानबे पैसे नब्बे मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तो के अधीन व्यय किया जायेगा।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर पूर्व में वाहन का क्रय न किया गया हो।

(3) प्रश्नगत वाहन का क्रय परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1986 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर के अनुसार किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत क्रय हेतु गुणवत्ता वरीयता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, मत्स्य का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) उक्त वाहनों का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात क्रय की कार्यवाही दविरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

(6) धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2. उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-14-मोटर गाडियों के क्रय के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या: 07/2016/586(1)/17-म-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/(आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।